

60
66 247 26

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: प.14(1)/10/जविप्रा/संस्था/10

दिनांक : 1-12-16

आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) क में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत प्राधिकरण के प्रत्येक प्रशासनिक/एकक/प्रकोष्ठ के प्रभारी/राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ प्रकोष्ठ के समस्त अभिलेखादि, पत्रावलियों और प्रपत्रों को सूचीबद्ध करने तथा उन्हें कम्प्यूटरीकृत करके विभिन्न प्रणालियों से पूरे देश में नेटवर्क माध्यम से आम नागरिकों की पहुंच तक जोड़े जाने की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। इसी अनुसार धारा 4(1) ख में वर्णित 17 बिन्दुओं पर प्रावधानानुसार अधिनियम प्रभावी होने से 120 दिवस के अन्तर्गत कार्यवाही प्रत्येक विभाग स्तर पर सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है। जयपुर विकास प्राधिकरण में उपरोक्त वर्णित अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही को सम्पादित कराने हेतु आदेश क्रमांक डी-3471 दिनांक 26.04.2010 से गठित की गई कोर कमेटी को समाप्त करते हुए उपायुक्त (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें निम्न सदस्यगण नियुक्त किये जाते हैं:-

1. श्री राजेश सक्सेना, सिस्टम एनलिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती उषा जैन, जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नवल बैरवा, अधिशाषी अधिकारी, जोन-1, जविप्रा, जयपुर।

गठित कमेटी द्वारा उक्त प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही इस आदेश जारी होने के 10 दिवस के अन्तर्गत सम्पादित कर आवश्यक निर्देशिका प्रकाशित कराते हुए रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे।

(यु.एन.)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. अति० आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
4. संयुक्त आयुक्त, (संसा. वि. एवं सम.), जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त (कार्मिक), जविप्रा, जयपुर।
6. श्री राजेश सक्सेना, सिस्टम एनलिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमती उषा जैन, जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री नवल बैरवा, अधिशाषी अधिकारी, जोन-1, जविप्रा, जयपुर।

(यु.एन.)
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर